


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 68¹ नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 7, 1971/चैत 17, 1893

No. 68] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 7, 1971/CHAITRA 17, 1893

इस भाग में भिन्न प्रकृत संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April 1971

G.S.R. 520.—In exercise of the powers conferred by section 9 of the Civil Defence Act, 1968 (27 of 1968), the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Civil Defence Regulations, 1968, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Civil Defence (Amendment) Regulations, 1971.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Civil Defence Regulations, 1968,—

(a) for regulation 7, the following regulation shall be substituted, namely:—

“7. *Membership Certificate.*

(1) Every person appointed to be a member of the Corps shall be issued a certificate of membership in Form C.

- (2) A person losing the certificate issued to him under sub-regulation (1), shall report its loss forthwith to his immediate superior officer, who shall make necessary enquiries, and shall after satisfying himself, arrange the issue of a duplicate certificate of the same.
- (3) The cost of the aforesaid duplicate certificate as determined by the issuing authority, shall be borne by the person to whom the certificate of membership was issued under sub-regulation (1).
- (b) in the appendix, for the existing Form C, the following Form shall be substituted, namely:—

“As on reverse”

“FORM C

No.

(See regulation 7)

Membership Certificate

Government of (name of the State)

CIVIL DEFENCE CORPS

1. Name in full
2. Nationality
3. Date of Birth
4. Father's/Husband's name
5. Identification marks
6. Permanent Address
7. Name of Civil Defence Corps in which employed
8. Assignment
9. Name and address of next of kin
10. Signature/Thumb Impression of the person

PHOTOGRAPH

Date of issue
Office Stamp of
Issuing Authority

Signature and designation
of Issuing Authority”

[No. 5/33/69-DGCD(CD)]

J. C. AGARWAL, Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 6 अप्रैल, 1971

सं० का० वि० 520.—सिविल रक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा सिविल रक्षा विनियम 1968 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. 1. ये विनियम सिविल रक्षा (संशोधन) विनियम, 1971 कहे जा सकेंगे ।
2. ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. सिविल रक्षा विनियम, 1968 में—

(क) विनियम 7 के अन्तर्गत, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“7. सदस्यता प्रमाण पत्र (1) कोर के सदस्य के रूप में नियुक्त हर व्यक्ति को प्ररूप ग में एक सदस्यता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा ।

(2) उपविनियम (1) के अधीन उसे जारी किए गए प्रमाण पत्र को खो देने वाला व्यक्ति इसके खो जाने की रिपोर्ट तत्काल अपने से ठीक बरिष्ठ अधिकारी को करेगा, जो आवश्यक जांच करेगा, और अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, उस प्रमाण पत्र की दूसरी प्रति जारी करने की व्यवस्था करेगा ।

3. प्रमाण पत्र की पूर्वोक्त दूसरी प्रति की लागत, जैसी की जारी करने वाले अधिकारी द्वारा अवधारित की जाय, उस व्यक्ति द्वारा वहन की जाएगी जिसे उपविनियम (1) के अधीन सदस्यता का प्रमाण पत्र जारी किया गया था ।” ;

(ख) परिशिष्ट में, विद्यमान प्ररूप ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“प्ररूप ग

स०

(विनियम 7 देखें)

सदस्यता प्रमाणपत्र

..... (राज्य का नाम की सरकार
सिविल रक्षा कोर

| | |
|---|-----------|
| 1. पूरा नाम | |
| 2. राष्ट्रिकता | |
| 3. जन्म की तारीख | |
| 4. पिता/पति का नाम | फोटोग्राफ |
| 5. पहचान चिह्न | |
| 6. स्थायी पता | |
| 7. सिविल रक्षा कोर का नाम जिसमें नियोजित है | |
| 8. सुपुर्द काम | |

9. निकटतम कुल्य का नाम और पता.....
10. व्यक्ति का हस्ताक्षर/प्रंगूठे का निशान.....

जारी करने की तारीख

जारी करने वाले प्राधिकारी के कार्यालय की मुद्रा

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर और
पदाभिधान”

[संख्या 5/33/69डी०-जी० सी० डी० (सी० डी०)]

ज० च० अग्रवाल, संयुक्त सचिव,।